संख्याः—3688/71—2—2016/81/2016

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषयः—प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों (सत्र—2016—17) में काउंसिलिंग एवं प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या— 1090/71—2—2016—127/2011 दिनॉक—11.8.2016 तथा अधिसूचना संख्या—3571/ 71—2—2016—81/2016, दिनॉक—20.8.2016 एवं अधिसूचना संख्या—3572/71—2— 2016—81/ 2016 दिनॉक 22.8.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से क्रमशः आन—लाईन पंजीकरण की व्यवस्था तथा शैक्षणिक सत्र 2016—17 में प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में कम्बाईन्ड काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से काउंसिलिंग कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्बाइंड काउंसिलिंग बोर्ड के गठन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 20.08.2016 तथा 22.08.2016 में उल्लिखित काउंसिलिंग बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को एतद् द्वारा नामित किया जाता हैः—

1. डा0 एस0पी0 सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद (अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।
2. डा0 गणेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ (अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।
3. डा0 सुरेश चन्द्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (अनारक्षित श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में)।
4. डा0 एम0क्यू बेग, विभागाध्यक्ष रेडियोथेरेपी, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर (अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।

3— उक्त के अतिरिक्त काउंसिलिंग बोर्ड में तकनीकी संस्था के रूप में अधिकृत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के तकनीकी विशेषज्ञ भी काउंसिलिंग के समय पंजीकरण मेरिट लिस्ट एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के सम्बन्ध में सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित रहेंगे।

4— प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2016—17 हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में काउंसिलिंग एवं प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः—

काउंसिलिंग की समय सारणीः—

मेरिट लिस्ट का प्रकाशन	दिनॉक 01.09.2016
प्रथम चक की काउंसिलिंग	दिनॉक—03.09.2016 से दिनॉक 07.09.2016
आवंटित सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक 08.9.2016
द्वितीय चक की काउंसिलिंग	दिनॉक—21.09.2016 से दिनॉक 24.09.2016
आवंटित सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक—26.09.2016
मॉप—अप—राउण्ड	दिनॉक—28.09.2016

काउंसिलिंग की प्रकियाः—

शैक्षणिक सत्र 2016—17 में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

1. सभी पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग का क्रम केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा पंजीकरण के आधार पर तैयार सूचियों में **मेरिट के क्रमानुसार** किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या—2061/71—2—11—90/2005 दिनॉक 05.7.2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **काउंसिलिंग वीडिया—कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से** एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, कानपुर एवं इलाहाबाद में करायी जायेगी।
3. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में अनुमन्य आरक्षित सीटों का निर्धारण करते हुए काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चक के प्रथम दिन प्रदेश में उपलब्ध समस्त एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 सीटों का कालेजवार, श्रेणीवार एवं पाठ्यक्रमवार आरक्षित सीटों की सूचना सहित **"सीट—चार्ट"** अनुमोदित एवं प्रकाशित की जाएगी। *सीट चार्ट में प्रदर्शित होने वाली* ***निजी क्षेत्र के कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कम का निर्धारण*** *उनके एम0सी0आई0 द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि, एल0ओ0पी0 प्राप्त होने की तिथि एवं संस्थान के विधिक नाम के अंग्रेजी वर्णमाला कम के आधार पर की जायेगी।*
4. काउंसिलिंग के पूर्व स्थलीय पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवश्यक **समस्त अभिलेखों की मूल प्रति/सत्यापित छायाप्रति** उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेखों के आधार पर प्रवेश/आरक्षण हेतु अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार मात्र काउंसिलिंग बोर्ड की होगी।

5. काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा **अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन** के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु **नामित तकनीकी संस्था** द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि काउंसिलिंग बोर्ड में विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित होंगे। तकनीकी संस्था द्वारा काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय 02 अवसरों पर आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जायेगा। इसके साथ ही कराया जायेगा।

6. काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित किये गये विकल्प के आधार पर कालेज/पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सीट आवंटन हेतु पत्र महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के हस्ताक्षर से निर्गत की जायेंगी। उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद **उपरोक्तानुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों को प्रवेश** के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी।

7. निर्धारित 02 चक्रों की काउंसिलिंग के उपरान्त यदि कोई सीट अवशेष रह जाती है, तो इनमे प्रवेश हेतु मा0 उच्चतम् न्यायालय के अनुपालन में 01 अन्तिम **"माप–अप–राउण्ड" की काउंसिलिंग दिनॉक–28.9.2016 को आयोजित की जाएगी।** इस चक्र में प्रवेश का आधार मूल निवासी मेरिट लिस्ट ही रहेगी। इस चक्र की सीट आवंटन में पूर्व में प्रवेशित/आवंटित अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करना अनुमन्य नहीं होगा परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रों को सीट चयन करने का अवसर नीट मेरिट क्रम के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा।

आरक्षणः–

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों (शैक्षणिक सत्र–2016–17) में प्रवेश हेतु अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था एवं अर्हताएँ पूर्व की भाँति यथावत् रहेंगी। तद्नुसार सत्र 2016–17 में प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर *उर्ध्वाधर आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण* निम्नवत् प्रदान किया जायेगाः–

उर्ध्वाधर आरक्षण

1. *अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी–* *21 प्रतिशत*
2. *अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी–* *02 प्रतिशत*
3. *अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी–* *27 प्रतिशत*

क्षैतिज आरक्षण

1. *स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए– 02 प्रतिशत*
2. *भूतपूर्व सैनिक(युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिए– 02 प्रतिशत*
3. *विकलांग अभ्यर्थियों के लिए–03 प्रतिशत*
4. *महिला अभ्यर्थियों के लिए–20 प्रतिशत*
5. *बी–ग्रेडिंग सहित सी– सर्टिफिकेट धारी एन0सी0सी0 कैडेट 01 प्रतिशत*

प्रवेश हेतु अनिवार्य अर्हताएंः—

1. प्रदेश के राजकीय एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों (सत्र—2016—17) में प्रवेश हेतु अर्हताएँ पूर्व की भाँति यथावत् निम्नानुसार रहेंगीः—

   i. **निवासः—** **राजकीय मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।** अभ्यर्थियों को इस संबंध में काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष मूल निवास प्रमाण—पत्र / सामान्य निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त अभिलेखों के प्रमाणित छायाप्रतियों की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

   ii. **आयु सीमाः—** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 31 दिसम्बर, 1999 के पूर्व हुआ हो।

   iii. **नीटः—** प्रदेश के समस्त एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को **नीट परीक्षाफल सूची में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।**

   iv. मात्र ऐसे छात्र जिन्होंने नीट परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा निर्धारित आन—लाईन व्यवस्था के माध्यम से पंजीकृत किया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। इस प्रकार से प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आन—लाईन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में केवल वेब—साईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिन्ट—आउट अनुमन्य होगा। *प्रथम एवं द्वितीय चक की काउंसिलिंग में किसी भी दशा में गैर आन—लाईन पंजीकृत अभ्यर्थियों (जिनका उपरोक्तानुसार प्रकाशित मेरिट लिस्ट में उल्लेख न हो) को काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दिया जायेगा।*

   v. **शैक्षिक अर्हताः—** इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप / जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी अर्ह होंगे। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के रेग्यूलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन—1997 के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया तथा डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत् हैः—

      a) सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में औसत 50 प्रतिशत तथा सी0बी0एस0ई0 द्वारा उपलब्ध कराई गयी नीट मेरिट सूची में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त परीक्षा में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— काउंसिलिंग हेतु अन्य व्यवस्थाएँ (अखिल भारतीय कोटा, धरोहर धनराशि इत्यादि) गत वर्षों की भाँति यथावत् रहेंगी।

6— उपरोक्तानुसार महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को यह भी निर्देश दिया जाता है कि शासनादेश की प्रति निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों/निजी विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों को तत्काल उपलब्ध कराते हुए काउंसिलिंग के सफल आयोजन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री उक्त संस्थानों से निर्धारित समय—सारणी के अनुसार काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या— (1)/71—2—206, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
4. काउंसिलिंग बोर्ड में शासन द्वारा नामित सदस्यगण द्वारा महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।